हम मुसलमानों को अपनी रणनीतिः बदलनी होगी

डा. सैयद ज़फ़र महमूद
info@zakatindia.org

क़ुर्आन पाक में सूरह बनी इस्राईल की आयत 70 में अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैं कि हम ने आदम की औलाद यानि इंसानों को सम्मान और मर्यादा दी है। सूरह अलहुजरात में कहा गया कि इसांनों के विभिन्न कुटुम्ब और क़बीले बनाए गए हैं जिससे वह आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। इस तरह एक तरफ़ अल्लाह ने हम इंसानों को व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का सम्मान करने और मूल्य पहचानने का आदेश दिया और दूसरी तरफ़ वर्गीय तथा सामुदायिक स्तर पर समानता, सम्मानता तथा सहयोग का सम्बंध बनाने की सीख दी। इनके अतिरिक्त अन्य कई सूरतों की बहुत सी आयतों से यह पता चलता है कि कामयाब व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के लिए अल्लाह के दिशा निर्देश विभिन्न सार्थक निहितार्थ रखते हैं। इस सम्बंध में अल्लाह ने अपने दिशा निर्देश केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रखे हैं बल्कि उनका महत्तव सारी मानवजाति और समस्त वर्गों के लिए है।

1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक का इतिहास यह दर्शाता है कि देश के मुसलमान अन्य सभी समुदायों की अपेक्षा सामाजिक, शैक्षिक एंव आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ कर रह गए हैं। सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन की रिपोर्टों के बाद यह सच्चाई अब ढकी छुपी नहीं रह गयी है। यह भी साफ़ हो गया है कि इस पिछड़े पन का मुख्य कारण वह नीतियां है जो मुसलमानों के सम्बंध में बनाई जाती रहीं हैं। जैसेः (1) अनुसूचित जातियों के सम्बंध में 1950 में जारी किए गए आदेश में प्रशासन की साज़िश से मुसलमानों को अलग थलग करके उनके दलित वर्गों को संसद, विधान सभाओं, प्रशासनिक सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं के 15 प्रतिशत भाग से वंचित कर दिया जाना, (2) मुसलमानों की बहुलता वाले चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिएं आरक्षित कर दिया जाना इसके बावजूद कि वहां अनुसूचित जातियों की आबादी ज़्यादा नहीं, (3) मुसलमानों के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव बरतना, और (4) कुछ मुसलमानों को केवल दिखावे के लिए शासन के कुछ पदों पर आसीन कर देना, आदि।

पिछले 65 सालों से मुसलमानों को उनके अस्तित्व के मुद्दों में नकारात्मक रूप से उलझाए रखा गया है। मुसलमानों का वोट उनकी सुरक्षा की गारण्टी के आधार पर मांगा जाता है। दूसरी तरफ़ ग़ैर-मुस्लिमों से यह कहा जाता है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो

मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। मुसलमान को विदेशी या आतंकी घोषित कर देना तो बाएं हाथ का खेल है। मुस्लिम नौजवानों को निराधार आरोपों पर वर्षों तक जेल में रखना और अदालत में आरोप सिद्ध न होने पर चुपके से छोड़ देना देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संस्कृति बन गयी है। पाठ्यपुस्तकों में परोक्ष रूप से मुसलमानों को नीचा दिखाना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की नीति बना ली गयी है। ग़ैर-मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग की पीढ़ियां इसी राष्ट्रीय स्वभाव के साथ पल कर जवान हो रही हैं। इन योजनाबद्ध नीतियों से मुसलमानों की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया जा रहा है। जिसकी वजह से मुसलमान हमैशा अपने बचाव में लगे रहते हैं। एसे में वे अपनी तरक़्क़ी और उन्नति की तरफ़ कैसे ध्यान दे सकते हैं। इस साज़िश के चलते ही कुछ शक्तियां भारतीय राजनीति के कबड्डी मैदान में मुसलमानों के पाले में घुस कर उन को सुरक्षात्मक खेल खेलने पर मजबूर करने में सफ़लता पूर्वक लगी हुई हैं।

इक्कीसवीं सदी के इस प्रारम्भिक चरण में हम भारतीय मुसलमानों पर अपनी बहतरी के लिए बहुत कुछ करने की भारी ज़िम्मेदारी है। हमें इस मुस्लिम विरोधी राष्ट्रीय धारे को बदलने के लिए सोच समझ कर प्रभावी उपाय करने होंगे। 1950 का प्रशासनिक आदेश जारी होने के पीछे सरकारी फ़ाइलों में की गयी

कार्रवाई का विवरण सूचना के अधिकार क़ानून के अन्तर्गत सरकार 2013 में भी देने को तैयार नहीं है। मुसलमानों की बहुलता वाले चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। आई.पी.एस. की 1400 अतिरिक्त भर्तियों के लिए उस सीमित चयन प्रक्रिया से भी सरकार हटने को राज़ी नहीं है जिससे मुसलमानों को सीधा नुक़सान पहुंचाया जा रहा है।

हम मुसलमानों को देश की चुनावी राजनीति में पिछलग्गू बने रहते हुए 65 साल हो गए। इस तरह तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते । हम बुरी तरह फ़ेल हैं और अपमानित हो रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक जीवन से खिलवाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। समय आ गया है रणनीति बदलने का। हमें अब फ़ौज में पैदल पिछलग्गू के बजाए झण्डा बरदार बनना होगा।

1950 में हमारे संविधान ने देश की आबादी के 20 प्रतिशत दलितों को और फिर 42 प्रतिशत पिछड़ों को आरक्षण दिया। इस से गिरे पड़े लोगों को उपर उठने का अवसर मिला। किन्तु इससे उनका केवल शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर ही ऊंचा हुआ पर उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव या बहतरी नहीं आई। सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति पहले ही जैसी है। यही वजह है

कि वे आज भी हीनता एंव वंचिता से पीड़ित हैं। ग़ैर-अनुसूचित जातियों तथा ग़ैर-पिछड़े वर्गों की धारणा तथा चेतना में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक स्तर के प्रति कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इसके लिए करोड़ों लोगों को हज़ारों साल पुरानी संस्कृति से पिण्ड छुड़ाना पड़ेगा जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। इस उद्देश्य से देशवासियों के मस्तिष्क में बदलाव लाने के लिए 1950 का संवैधानिक ढांचा तथा उसके संशोधन व सुधार भी कुछ काम नहीं आए। इसके लिए हमारा संविधान कैलाएडोस्कोप (Kaleidoscope) (यानि एसा खिलौना जिसे घुमाकर देखने से उसमें विभिन्न रंगों के विभिनन धारे दिखाई देते हैं) न बन सका।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के मानस में इस पीड़ादायक खालीपन को भरने के लिए, इस पर मरहम लगाने के लिए और उनकी भावनाओं को राहत देने के लिए मानवता के नायक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने 1400 साल पहले हर इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी और समानता के अधिकार का एलान कर दिया था। तो उस पैग़म्बर के उम्मती होने के नाते हम क्यों न इस देश के वासियों में मानसिक बदलाव की जिद्दोजहद करें। इसके लिए हम क्यों न उस पैग़म्बराना संदेश और शिक्षा का प्रचार करें। और अल्लामा इक़बाल की इस भविष्यवाणी को सच कर दिखाएः

निकल के सहरा से जिस ने रोमा की सल्तनत को पलट दिया था
सुना है यह क़ुदसियों से मैं ने वह शेर फिर होशयार होगा

हमें इस्लाम के बुनियादी संदेश को समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। मैं ने इस अहम मुद्दे पर दलित नेता उदित राज जी से लम्बी वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि वह जस्टिस मिश्रा कमीशन की रिपोर्‌ट से सहमत हैं कि 1950 के अध्यादेश में से पेराग्राफ़ 3 को निकाल दिया जाए और इस तरह अनुसूचित जाति की परिभाषा से धर्‌म की शर्‌त हटा दी जाए। उन्होंने अपना यह वचन लिखित रूप से दे दिया है। तो क्यों न हम अपने पैग़म्‌बराना संदेश के साथ आगे बढें और मुस्लिम विरोधी दानव को सींगो से पकङ कर क़ाबू में कर लें। इस सम्बंध में ईसाई धर्‌म गुरुओं से भी बात चीत हुई है। वह भी 65 साल से चली आ रही इस महरूमी से बहुत व्याकुल हैं और इस अभियान में हर तरह से साथ देने को तैयार हैं। अगर 1950 के अध्यादेश से पेरा 3 को निकाल दिया जाए तो मुसलमान नाई, मुसलमान लोहार, मुसलमान मोची आदी को भी वही सुविधाएं मिलने लगेंगी जो ग़ैर मुस्लिम नाई, ग़ैर मुस्लिम लोहार और ग़ैर मुस्लिम मोची आदि को पिछले 65 साल से मिलती आ रही हैं। यानि संसद, विधान सभाओं, ज़िला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों में वह आरक्षित सीटों पर चुनाव लङने के हक़दार होंगे, हर साल यू.पी.एस.सी के सिविल

सर्विस परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती में आरक्षित पदों के लिए हक़दार होंगे।

इसके लिए हम मुसलमानों को अच्छा मुसलमान बनना होगा। हम आपस में भी समानता की इस्लामी शिक्षाओं को व्यवहार में लाएं और साथ ही देशवासियों में पिछड़े वर्गों की तरफ़ मुहब्बत का हाथ बढ़ाएं। इस तरह वे हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल सकते हैं। फिर हम दोनों की संयुक्त राजनीतिक शक्ति (जनगणना आंकड़ों पर निर्भर करते हुए भी) 35.9% तक जा सकती है। इस लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करना चाहिए।